यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ सस्टेंट क मश्नर (क.नि.) वा णज्यकर श्रीनगर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय डप्टी क मश्नर (क.नि.) वा णज्यकर श्रीनगर के माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नीरज कुमार श्री सराज हुसैन सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी एवं श्री एफ आर खान व0 लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 15.11.2017 से 21.11.2017 तक श्री एन. के. सन्हा व0 लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री नि खल गोस्वामी (ले.प.) एन.के. बनसल सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक - से - तक तक श्री अशोक कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2014 से 03/2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः

(ii) (अ) राजस्व ववरणः

वगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व
2014-15	1151.81
2015-16	2287.86
2016-17	2086.95

(II) (ब) बजट का ववरण:- वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	बजट आवंटन		व्यय		बचत	
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
2014-15						
2015-16				शून्य		
2016-17						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन इकाई द्वारा आहरण वतरण का कार्य नहीं कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई .....शून्य.... श्रेणी की है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव- ए डशनल- ज्वाइन्ट- डप्टी- सहायक आयुक्त- वा णज्य कर अ धकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में श्री नगर पौड़ी को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ सस्टेंट क मश्नर (क.नि.) वा णज्यकर श्रीनगर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) वस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

व्यय: -

राजस्व: -

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2 ख

प्रस्तर 1- कर का अनारोपण 7.17लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम 2005 का धारा 4(2)(b)(1)(d) अनुसार कसी भी अनुसूची में अवर्गीकृत वस्तु पर कर देयता 13.5% निर्धारित की गयी थी।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.) वा णज्य कर, श्रीनगर गढवाल की नमूना लेखापरीक्षा में निम्नां कत के कर निर्धारण वादों व्यौहारियों में क मयाँ पायी गयी थी

(1) व्यौहारी सर्वश्री ट्रा पकल डेयरी, अपर बाजार, श्रीनगर गढ़वाल, कर निर्धारण वर्ष 2013-14 द्वारा संगत वर्ष में 26,95,519/- के 13.5% वाली वस्तु का आयात कया गया था। जब क व्यापारी द्वारा प्रस्तुत ट्रे डंग खाता में उक्त क्रय 25,73,889/- दर्शाया गया। इस प्रकार शेष 1,21,630/- की बिक्री मानते हुए 13.5% की दर से 26,420/- का कर आरोपणीय होगा। आगे पत्रावली की जाँच में पाया गया क व्यापारी द्वारा 50,31,446/- की मशीनरी का प्रान्त बाहर से क्रय कया गया था। जिसे व्यापारी द्वारा पूँजीगत खाते में अवशेष माना गया था। परन्तु पत्रावली में उक्त के सन्दर्भ में साक्ष्य उपलब्ध नहीं पाया गया। अतः उसकी बिक्री पर 13.5% की दर से 6,79,245/- का कर आरोपणीय होगा।

इस प्रकार सम्बन्ध में इं गत कए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया क व्यौहारी निर्माता है। जिसके द्वारा घो षत वक्रय धन पर नियमानुसार कर आरो पत कया गया है। तथा मशीन की बिक्री नहीं की गयी है। इकाई का उत्तर तर्क संगत नहीं है क्यों क उक्त मशीनरी को बैलेन्स शीट में दर्शाये जाने का साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः उत्तर मान्य नहीं था।

(2) व्यौहारी उत्तरांचल मे डकल स्टोर, कर-निर्धारण वर्ष 2013-14 द्वारा प्रान्त बाहर से एक एक्सरे एनालायजद कट 4,30,000/- का आयात कया गया था कर निर्धारण आदेश के अनुसार व्यौहारी द्वारा बताया गया क उक्त पूँजीगत खाते में अवशेष है। जिसके समर्थन में उपयुक्त साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं पाया गया। अतः उसकी बिक्री मानते हुए 5% की दर से 21,500/- का कर आरोपणीय होगा। साथ ही नियमानुसार ब्याज भी आरोपणीय था।

इस सम्बन्ध में इं गत कए जाने पर इकाई द्वारा नियमानुसार कार्यवाही का आश्वासन दिया गया है। जिसकी सम्प्रेक्षा में प्रतीक्षा रहेगा। जिसकी सम्प्रेक्षा में प्रतीक्षा रहेगा।

अतः प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबं धत वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
02/2008-09	01,02,03	01,02,03,04
16/2009-10	01,02	01,02,03
39/2010-11	01	01
47/2012-13	-	01
08/2014-15	-	01,02,03
02/2016-17	-	01

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : शून्य

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण : शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2) व्यय से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-**V**

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अ सस्टेंट क मश्नर (क.नि.) वा णज्यकर श्रीनगर तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गये: शून्य
2. सतत् अनिय मतताएः
   टिप्पणी- शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री दिपक कुमार	अ सस्टेंट क मश्नर
(ii)	श्री मनमोहन असवाल	अ सस्टेंट क मश्नर

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय अ सस्टेंट क मश्नर (क.नि.) वा णज्यकर श्रीनगर को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रे षत कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अ धकारी/राजस्व क्षेत्र